



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068

Web: www.dfccil.com

No. 2020/HQ/Admin/RTI-94

New Delhi: 06.03.2020

Sh. D. S. Chauhan
H. No.-R-158, Railway Enclave
Sector-12, Pratap Vihar
Ghaziabad
Mobile-9810903126

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 02.02.2020 received in this office on 11.02.2020.

आपके उपरोक्त आरटीआई आवेदन के संबंध में जानकारी संलग्न है। चूँकि आप पहले ही Rs. 10/- का आईपीओ आर्डर दे चुके थे। इसलिए आपका Rs. 10/- आपको इस पत्र के साथ वापस कर रहे हैं।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है;

श्री सतीश कोठारी, जीजीएम / प्रशासन DFCCIL,

5 वीं मंजिल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, नई दिल्ली -110001


(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

नोट

दिनांक 26.02.2020

संदर्भ: आरटीआई आवेदन पत्र सं. 2019/एच क्यू / प्रशासन /आरटीआई-94 दिनांक 11.02.2020

उक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत मांगी गई जानकारी का विवरण निम्न प्रकार हैं:

आवेदक का नाम: श्री डीएस चौहान, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद								
क्र. स	मांगी गई जानकारी						उत्तर	
1.	मेरी पत्रावली पर अधिकारियों द्वारा पारित टिप्पणियों (पी.पी.) को प्रमाणित फोटो कॉपी उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा उन पर की गई कार्रवाई से अवगत कराएं, 10/- का भारतीय पोस्टर आर्डर साथ संलग्न है, यदि इससे अधिक की आवश्यकता हो तो 5 कॉपी भेजने के उपरांत अवगत कराएं						अधिकारियों द्वारा पारित टिप्पणियों की कॉपी इसके साथ संलग्न है।	
2.	डीएफसीसी/सीओ/डब्लू डीएफसी/ ईडब्लूडीएफसी में कितने कंसलटेंट/रीईजेंजमेंट पर कार्यरत है की सूची निम्न प्रारूप पर अलग अलग उपलब्ध करना सुनिश्चित करें						यह जानकारी आपके द्वारा मांगे गए प्रारूप में उपलब्ध नहीं है।	
	क्र. सं.	नाम	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	कब से कार्य करना प्रारंभ किया	कब-कब एक्सटेंशन दिया गया	किस अधिकारी के संस्तुति पर दिया गया	नोटिफिकेशन नंबर यदि कोई है तो दें	टिप्पणी
3.	निदेशक ओपीबीडी द्वारा प्रस्ताव को अप्रूप करने के उपरांत जीजीएम-एचआर द्वारा किस नियम के अनुसार अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी। कृपया नियम उपलब्ध कराने का कष्ट करें।						मांगी गई सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत नहीं आती है अतः मांगी गई सूचना नहीं दी जा सकती।	
4.	कृपया बतायें कि सुरक्षा विभाग में सीनियर एग्जीक्यूटिव/एग्जीक्यूटिव के स्थान रिक्त थे तो किस नियम के तहत रि-इंजेजमेंट के लिए कमेटी गठिन नहीं की गई। नियम बताएं							
5.	एचआर मैनुअल के अनुसार कितने दिन में फाईल का निपटारा किया जाना अपेक्षित है नियम बताएं।							

उप महाप्रबंधक / मा. सं.

जन सूचना अधिकारी (उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आरटीआई)

R-09 27/2/20